उत्तर प्रदेश शासन

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2

सं0-68/3187/62-2-2014-2/4(17)/2014

लखनउ: दिनांक: 10 अक्टूबर,2014

कार्यालय ज्ञाप

लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0 द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2008 के आधार पर सहायक अभियंता (कृषि) एवं सहायक अभियंता (यात्रिक) लघु सिंचाई के पद पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को लघु सिंचाई विभाग में सहायक अभियंता (समूह-ख) के पद पर वेतनमान रू0-8000-13500 (संशोधित वेतन संरचना में पे बैन्ड-3 सादृश्य वेतन बैड/वेतनमान रू0-15600-39100, सादृश्य ग्रेड वेतन रू0-5400) में कार्यभार ग्रहण करने करने की तिथि से नियुक्त करते हुए, 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि (जो नियमानुसार बढाई जा सकती है) पद रखे जाने तथा उन्हें स्तम्भ-6 में अंकित जनपद में तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

क्र0 सं0	नाम	पद नाम	स्नातक उपाधि	गृह जनपद	नियुक्ति/तैनाती का जनपद
1	2	3	4	5	6
1-	श्री सुनील कुमार पाल	सहायक अभियंता	कृषि अभियंत्रण	औरैया	मिर्जापुर
2-	श्री दीपक कुमार	सहायक अभियंता	कृषि अभियंत्रण	बदायूँ	बिजनौर
3-	श्री शरद कुमार	सहायक अभियंता	कृषि अभियंत्रण	जौनपुर	श्रावस्ती

2- संबंधित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उक्त वेतनमान में मिलने वाले वेतन के अतिरिक्त शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता एवं अन्य अनुमन्य भत्ते भी देय होगें।

3- संबंधित अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व उ0 प्र0 सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के नियम-24(3) के अन्तर्गत अपनी चल-अचल सम्पत्तियों का विवरण सहित घोषणा-पत्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

4- संबंधित अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व उ0 प्र0 सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के नियम-29 के अन्तर्गत इस आशय का घोषण पत्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगें कि उनकी एक से अधिक जीवित पत्नियां नही है।

5- संबंधित अभ्यर्थी आदेश की प्रति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर लें। यदि वे निर्धारित समयावधि के अन्दर युक्ति-युक्त कारण के बिना योगदान नही करते है तो यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर योगदान करने के इच्छुक नही है और तदनुसार उनका अभ्यर्थन समाप्त करने की कार्यवाही करने पर विचार किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- संबंधित अभ्यर्थी की ज्येष्ठता, उ0 प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली,1991 (अघावधिक संशोधन सहित) के संसुगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर अलग से निर्गत की जायेगी।

7- इस आदश के निर्गमन के पश्चात यदि शासन के संज्ञान में आता है कि वांछित शैक्षिक/प्रशिक्षण/अनुभव संबंधी योग्यता के संबंध में यदि कोई अभ्यर्थी आवश्यक तथा महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर अथवा फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार चयनित होने में सफल हो गया है, तो ऐसे अभ्यर्थी इसके लिए स्वंय जिम्मेदार होगें एवं भविष्य में उक्त पद के प्रति उनका कोई दावा/अधिकार मान्य नही होगा।

8- तैनाती के जनपद तक जाने/पहूँचने हेतु कोई मार्ग व्यय अथवा यात्रा भत्ता देय नही होगा।

ह0/
(डा0 सूर्य प्रताप सिंह)
प्रमुख सचिव।

सं0-68/3187(1)/62-2-2014तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम व द्वितीय, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद के पत्र सं0-78(5)/01/ई-3/09-10, दिनांक 09-5-2014, पत्र सं0-78(8)/01/ई-3/2009-10, दिनांक 09-5-2014 एवं पत्र सं0-79(6)/01/ई-3/2009-2010, दिनांक 17-6-2014 के क्रम में। (रजिस्टर्ड)
3- कार्मिक अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
4- मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनउ।
5- संबंधित अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त, उत्तर प्रदेश।
6- संबंधित कोषाधिकारी।
7- संबंधित अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई खण्ड, उत्तर प्रदेश।
8- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0 प्र0 इलाहाबाद को शासकीय गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ। (रजिस्टर्ड)
9- श्री सनील कुमार पाल, ग्राम-टीका का नगला, पोस्ट-दरवटपुर, जिला औरैया। (रजिस्टर्ड)
10- श्री दीपक कुमार पुत्र श्री जुगेन्द्र पाल सिंह, बालाजी नगर निकट मण्डी समिति तिराहा, जिला बदायूँ। (रजिस्टर्ड)
11- श्री शरद कुमार, 35 श्याम नगर, खुर्रमनगर, पिकनिक स्पाट रोड, लखनउ। (रजिस्टर्ड)
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/
(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in